प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 26.08.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा स्नैचिंग व वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 26.08.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्नैचिंग व वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त इरफान अली उर्फ आतंक पुत्र फिजूद्दीन अली निवासी नियर रजा मस्जिद पूर्वी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सराय नंगला थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 27 वर्ष को सैक्टर सी-7 थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। अभियुक्त से बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना लोनी पर धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटरसाइकिल मैंने और मेरे साथी अनीश उर्फ धप्पो ने मिलकर इकराम नगर लोनी गाजियाबाद से चोरी की थी। हम दोनों नशे के आदी है तथा मोटरसाइकिल चोरी व मोबाइल छीनते है, हम लोग छिने हुये मोबाइलों को राह चलते व्यक्तियों को बेचकर अपने शौक पूरे करते है। कुछ दिन पहले हम दोनों ने पीली बिल्डिंग (RMS BULDING) के पास से एक व्यक्ति का मोबाइल छीना था। वह मोबाइल मेरे साथी अनीश उर्फ धप्पो के पास है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

इरफान अली उर्फ आतंक पुत्र फिजूद्दीन अली निवासी नियर रजा मस्जिद पूर्वी मुस्तफाबाद थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम सराय नंगला थाना बडौत जिला बागपत, उम्र करीब 27 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

अनीश उर्फ धप्पो पुत्र इम्तिआज निवासी पूर्वी मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद,उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरूद्ध चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पूर्व में थाना ट्रोनिका सिटी पर स्नैचिंग का 01 अभियोग, थाना लोनी पर मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग, घर से चोरी का 01 अभियोग, चोरी का सामान बरामद होने का 01 अभियोग व आर्म्स एक्ट के 02 अभियोग व एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग **(कुल 08 अभियोग)** पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

गौकशी/गौ-तस्करी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण का कड़ा प्रहार: ग्रामीण जोन के समस्त थानों पर चलाया गया विशेष गौकशी/गौ-तस्करी के अपराधियों का सत्यापन व चेकिंग अभियान।

दिनांक 25.08.2026 को श्री सुरेंन्द्रनाथ तिवारी पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के कुशल निर्देशन में ग्रामीण जोन के सभी थाना क्षेत्रों में गौकशी/गौ-तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु एक व्यापक एवं सघन सत्यापन/चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस विशेष अभियान के तहत ग्रामीण जोन के समस्त थाना प्रभारियों एवं पुलिस टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध स्थानों, गौकशी/गौ-तस्करी के पूर्व अपराधियों के ठिकानों, हॉटस्पॉट्स और सीमावर्ती चेकपोस्टों पर एक साथ छापेमारी व चेकिंग की गई। अभियान के तहत चिन्हित आरोपियों को संबंधित थानों में लाकर गहन पूछताछ की गई। इस दौरान अपराधियों के डोजियर (Dossier) तैयार किए गए और उनके वर्तमान निवास, गतिविधियों और रोजगार का भौतिक सत्यापन पूरा किया गया।

सभी थानों द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान गौकशी/गौ-तस्करी के किये गये भौतिक सत्यापन का संख्यात्मक विवरण:

1.थाना मसूरी- **14**

2.थाना मुरादनगर - **40**

3.थाना मोदीनगर- **00**

4.थाना भोजपुर- **23**

5.थाना निवाड़ी- **07**

6.थाना लोनी- **27**

7.थाना ट्रोनिका सिटी- **09**

8.थाना लोनी बॉर्डर- **04**

9.थाना अंकुर विहार- **07**

कुल सत्यापन = **131**

अभियान के मुख्य बिंदु एवं कार्यवाहियां:

गौकशों/गौ-तस्करों एवं अपराधियों का भौतिक सत्यापन: पूर्व में गौकशी/गौ-तस्करी, अवैध कटान व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल जा चुके अपराधियों और चिह्नित गिरोहों के सदस्यों के मौजूदा निवास व गतिविधियों का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया।

बीट पुलिसिंग एवं अभिसूचना तंत्र सक्रिय: बीट आरक्षियों को अपने-अपने क्षेत्रों में गौकशी/गौ-तस्करी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर सतर्क नजर रखने और स्थानीय सूचना तंत्र मुखबिर को और मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए गए।

स्थानीय नागरिकों से संवाद:

ग्रामीण क्षेत्रों के संभ्रांत नागरिकों एवं ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ संवाद स्थापित कर उनसे अपील की गई कि गौ-तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें, सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।

"ग्रामीण जोन में गौकशी/गौ-तस्करी या किसी भी प्रकार के अवैध पशु परिवहन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वाले तस्करों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 12.06.2026 को शाहिद खान निवासी शहीद नगर शालीमार गार्डन द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 06.06.2026 को मैं अपनी स्पलेन्डर बाइक को सही से लॉक करके ऑफिस गया कुछ देर बाद वापस आया तो मुझे मेरी बाइक काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया जिसके क्रम में आज दिनांक 26.08.2026 को शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ताहिरपुर कट, डीएलएफ, शालीमार गार्डन गाजियाबाद के पास से 02 अभियुक्तगण **1. वारिस पुत्र वसीम, निवासी एफ-214 शहीदनगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष तथा 2. साजिद पुत्र फुरकान, निवासी हनुमान मंदिर के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से **01 मोटरसाइकिल हीरो स्पेलन्डर प्लस, रंग काला** बरामद हुई, बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल चोरी की है, जिसे दोनों ने मिलकर करीब दो माह पूर्व **शालीमार गार्डन क्षेत्र से चोरी किया था। चोरी करने के बाद दोनों अभियुक्त उक्त मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपने निजी आवागमन एवं अन्य कार्यों में कर रहे थे। आज दिनांक 26.08.2026 को दोनों अभियुक्त उक्त चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर किसी अन्य स्थान पर जाने की फिराक में थे, तभी मुखबिर की सूचना पर चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा उन्हें ताहिरपुर कट के पास पकड़ लिया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. वारिस पुत्र वसीम, निवासी एफ-214 शहीदनगर थाना शालीमार गार्डन गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

2. साजिद पुत्र फुरकान, निवासी हनुमान मंदिर के पास थाना लोनी कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलेन्डर प्लस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी के 05 दोपहिया वाहन बरामद।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक **25.08.2026** को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारीगण के आदेश-निर्देशों के अनुपालन में की जा रही चेकिंग के दौरान सम्राट होटल, कौशाम्बी के पास से 02 अभियुक्तगण **1. लखन पुत्र अनिल कुमार, हाल निवासी मकान नम्बर 282 एफ, पाकेट-2, मयूर विहार फेस-1, थाना मयूर विहार, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम करनपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 26 वर्ष तथा 2. अनुराग शर्मा उर्फ गोलू पुत्र सुखदेव, निवासी ई-125 सोनिया विहार, नियर सब्जी मंडी, थाना मण्डावली, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम दादर थाना अलवर कोतवाली जनपद अलवर, राजस्थान, उम्र करीब 24 वर्ष** को चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर अन्य **02 चोरी की मोटरसाइकिल एवं 02 स्कूटी** बरामद की गयीं। बरामद सभी 05 दोपहिया वाहनों को जिपनेट के माध्यम से चेक किया गया तो सभी वाहन दिल्ली के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई। बरामदगी के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा **317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस** के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण लखन एवं अनुराग शर्मा उर्फ गोलू से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि **वे दोनों दिल्ली के विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल एवं स्कूटी चोरी करते हैं तथा चोरी किये गये वाहनों को घूम-फिरकर उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली में ग्राहकों की तलाश कर बेच देते हैं।** चोरी किये गये वाहनों को बेचकर प्राप्त रुपयों से अपना खर्च चलाते हैं।अभियुक्तगण ने बताया कि यदि चोरी की गयी मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी जल्दी नहीं बिकती है तो वे दोनों उसे किसी सुनसान स्थान पर छिपाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे किसी को उसके बारे में जानकारी न हो सके। ग्राहक मिलने पर मौका पाकर उक्त वाहन को वहां से निकालकर बेच देते हैं तथा यदि वाहन फिर भी नहीं बिकता है तो उसके पार्ट्स निकालकर अलग-अलग बेच देते हैं।अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि उन्होंने इसी प्रकार दिल्ली के विभिन्न स्थानों से **02 स्कूटी एवं 02 मोटरसाइकिल** चोरी की थीं, जिन्हें उन्होंने **सीमांत विहार, कौशाम्बी में नर्सरी के पीछे सुनसान स्थान पर छिपाकर खड़ा कर रखा था।** आज दिनांक 25.08.2026 को वे दोनों चोरी किये गये वाहनों को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. लखन पुत्र अनिल कुमार, हाल निवासी मकान नम्बर 282 एफ, पाकेट-2, मयूर विहार फेस-1, थाना मयूर विहार, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम करनपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. अनुराग शर्मा उर्फ गोलू पुत्र सुखदेव, निवासी ई-125 सोनिया विहार, नियर सब्जी मंडी, थाना मण्डावली, दिल्ली, मूल निवासी ग्राम दादर थाना अलवर कोतवाली जनपद अलवर, राजस्थान, उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- **05 चोरी के दोपहिया वाहन।**
  (03 मोटरसाइकिल तथा 02 स्कूटी।)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर **01 अभियोग** पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1 किलो 365 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

दिनांक 26.08.2026 को थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तगण 1. राजकुमार उर्फ काले पुत्र ओमप्रकाश निवासी म0नं0- 20 गली नं0- 1, 30 फुटा दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष 2. सोनवीर सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व0 कृपाल निवासी ए-71 गली नं0- 2, 30 फुटा दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष आश्रम रोड कच्चे रास्ते से थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 01 किलो 365 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब हम यह गांजा दिल्ली से झुग्गी झोपडी में रहने वाले एक व्यक्ति से लाते है नाम पता हमें पता नही है । हम यह गांजा नन्दग्राम क्षेत्र में रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियों को छोटी-छोटी पुडिया बनाकर बेचते है तथा ठीक ठाक मुनाफा कमाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.राजकुमार उर्फ काले पुत्र ओमप्रकाश निवासी म0नं0- 20 गली नं0- 1, 30 फुटा दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25वर्ष
2. सोनवीर सिंह उर्फ सोनू पुत्र स्व0 कृपाल निवासी ए-71 गली नं0- 2, 30 फुटा दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 किलो 365 ग्राम नाजायज गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना सिहानीगेट पर 10 अभियोग आबकारी एक्ट/आर्म्स एक्ट /एनडीपीएस एक्ट/चोरी/मारपीट/लूट/गैंगस्टर व थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट संबंधी कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक महिला उ0नि0 प्रीति सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना लिंकरोड द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री रवि शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना लिंकरोड, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302 भादवि में अभियुक्त गौरव पुत्र ज्ञानचन्द निवासी गली नं0 01 ग्राम झण्डापुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0- 07, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 26.08.2026 को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी के भाई को लोहे की रोड मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 03.04.2024 को थाना लिंकरोड पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री रवि शर्मा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 रणजीत सिंह** पैरोकार थाना सिहानीगेट